न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – कमर चौधरी
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 170 / 2019 रा0रा0अ0

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यालय इकाई दौसा जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी लालसोट जिला दौसा
2. प्रकाश पुत्र रेवड निवासी ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 11.01.2023

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 07.03.2017 के द्वारा ग्राम श्रीया के खसरा नंबर 205 / 114 की अवाप्त भूमि के मुआवजा अवार्ड राशि 2,31,729 / –रू0 का पारित कर दिया। उक्त अवार्ड आदेश दिनांक 07.3.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी सं0 2 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए के दौसा–लालसोट–कोथून खण्ड के चौड़ाईकरण हेतु ग्राम श्रीया तह० रामगढ पचवारा की भूमि खसरा नम्बर 205 / 114 अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गई थी जिसका अवार्ड दिनांक 7–3–2017 को बनाया गया था । उक्त अवार्ड जारी होने के [illegible] मौके [illegible] तह०रामगढ़ पचवारा व ग्राम निर्झरना तह0 लालसोट के हितबद्ध व्यक्तियो के [illegible] उत्पन्न हो गया जिसका कारण यह रहा कि ग्राम निर्झरना तह0 लालसोट एवं ग्राम श्री[illegible]ह० रामगढ पचवारा दोनो पास पास में स्थित है एवं इनकी सीमा रेखा [illegible] ग्राम नि[illegible]के खसरा नम्बर 198 / 129 व 130 ग्राम श्रीया के खसरा नम्बर 1[illegible]2, 205 / 114,व 11[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:00 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

सीमा रेखा से मिलते हुए है इसलिए तत्समय मौके पर दोनो ग्रामो की सीमा रेखा का सही निर्धारण नही हो पाया था। अवार्ड जारी होने के पश्चात विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण उक्त दोनो ग्रामो की सीमा का निर्धारण हेतु तहसीलदार लालसोट द्वारा अपनेपत्र क्रमांक 1100 दिनांक 29–5–2018 द्वारा भू–प्रबंध अधिकारी महोदय जिला अलवर से सीमा निर्धारण करने हेतु दल भिजवाने का निवेदन किया एवं समय समय पर मिन प्रार्थी द्वारा भी निवेदन किया गया, जिस पर भू–प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1081 दिनांक 3–6–2019 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 10–6–2019 से दोनो ग्रामो की सीमा का निर्धारण व सीमाज्ञान हो जाने तक सीमाज्ञान हेतु दल भिजवाया जा रहा है। उक्त पत्र के अनुक्रम में तहसील लालसोट एवं तहसील रामगढ पचवारा का राजस्व दल भी सीमाज्ञान हेतु दिनांक 10–6–19 को तैयार किया गया। दोनो दलो द्वारा दिनांक 10–6–19 से 20–6–19 तक मौके पर उपस्थित रह कर सीमाज्ञान किया गया व मिन प्रार्थी के कार्यालय में मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सीमाज्ञान किये जाने के पश्चात पूर्व में जारी किये गये अवार्ड एवं नवीन रकबा अनुसार ड्राफ्ट अवार्ड में रकबे के घटने बढने के कारण अवार्ड की राशि में भी अंतर आ गया है। वर्तमान में दोनो दलो से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 205/114 की भूमि के रकबे एवं अवार्ड राशि में आया अंतर इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 2 प्रकाश पुत्र रेवड का हिस्सा 1 रकबा 0.1265है. का पूर्व में जारी अवार्ड राशि 2,31,729/– रू0 के स्थान पर सीमाज्ञान के पश्चात अवाप्त योग्य भूमि 0.1897है. (1897 वर्ग मीटर) भूमि की मुआवजा राशि 3,92,584/– रू0 कर दी गई है। इस प्रकार पूर्व अवार्ड राशि में 1,60,855/–रू0 की वृद्धि कर दी गई है। इस प्रकार खसरा नम्बर 205/114 के पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 2,31,729/– रू0 के स्थान पर 3,92,584/–रू0 किया जाना कानूनन सही है। इस प्रकार अंतर राशि 1,60,855/–रू0 की वृद्धि उक्त खसरा नंबर 205/114 के मुआवजे में किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खसरा नम्बर 205/114 की पूर्व निर्धारित की गई अवार्ड राशि 2,31,729/–रू0 के स्थान पर प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थी संख्या 2 विवरणानुसार 2,31,729/– रू0 का अवार्ड जारी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी को फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने बहस में निवेदन किया कि ग्राम श्रीया के खसरा नंबर 205/114 में से दौसा लालसोट कौथून खंड के चौडाईकरण हेतु भूमि अवाप्त की गई थी। ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा व ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट दोनों ग्राम पास–2 में स्थित है व इनकी सीमा रेखा का निर्धारण नहीं होने से हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य विवाद की स्थिति थी। अवार्ड जारी होने के पश्चात विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण उक्त दोनों ग्रामों की सीमा निर्धारण हेतु तहसीलदार लालसोट द्वारा भू प्रबंध अधिकारी अलवर से सीमा निर्धारण हेतु दल भिजवाने हेतु निवेदन किये जाने पर भू प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा टीम भिजवाई जाकर तहसील लालसोट व तहसील रामगढ पचवार की टीम के साथ मौके पर उपस्थित होकर सीमाज्ञान किया जाकर मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सीमाज्ञान पश्चात प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में जारी अवार्ड के अनुसार अवाप्त रकबा 1265 वर्गमीटर था जो अब नवीन अवाप्त रकबा 1897 वर्गमीटर हो गया है। इस प्रकार अवार्ड में रकबे के बढने के कारण अवार्ड राशि में 1,60,855/–रू. का अंतर आ गया है। चूंकि पूर्व में जारी अवार्ड राशि 2,31,729/–रू. थी जो अब नवीन अवाप्त रकबे के अनुसार 3,94,584/–रू0 हो गई है जो खसरा नंबर 205/114 वाके ग्राम श्रीया के खातेदार प्रकाश पुत्र रेवड को भुगतान किया जाना है। खसरा नंबर 205/114 वाके ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा हेतु पूर्व में जारी अवार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:00 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...3 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

राशि 2,31,729/–रू. रकबा 1265 वर्गमीटर के स्थान पर वर्तमान में अवाप्त रकबा 1897 वर्गमीटर अनुसार 3,92,584/–रू0 अवार्ड स्वीकृत किये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया गया।

अप्रार्थी सं0 2 बाद तामील अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट की रिपोर्ट दिनांक 6.9.2019 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट ने ग्राम श्रीया स्थित निजी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नबर 205/114 में से 1265 वर्गमीटर भूमि अवाप्त दौसा–लालसोट–कैथून खंड के चौडाईकरण हेतु अवाप्त किया गया था। जिसका भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट ने 2,31,729/–रू. का अवार्ड पारित किया गया था। सीमाज्ञान पश्चात खसरा नंबर 205/114 का अवाप्त रकबा 1265 वर्गमीटर के स्थान पर बढकर 1897 वर्गमीटर हो जाने से संशोधित अवार्ड राशि 3,92,584/–रू0 पारित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा एवं ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट दोनो ग्राम पास–पास में होने व इनकी सीमारेखा का निर्धारण नही होने से हितबद्व व्यक्तियों के मध्य मुआवजा राशि का विवाद पैदा हो गया। उक्त ग्रामों की सीमा रेखा के निर्धारण नहीं होने पर भू प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा भिजवाई गई टीम ने तहसील लालसोट एवं रामगढ पचवारा की टीम के साथ सीमाज्ञान किया जाकर मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सीमाज्ञान के उपरांत ग्राम श्रीया की खसरा नंबर 205/114 की पूर्व में पारित अवार्ड के अनुसार रकबा 1265 वर्गमीटर रू0 2,31,729 का था जो कि सीमाज्ञान के पश्चात रकबा बढकर 1897 वर्गमीटर हो गया। अप्रार्थी सं. 2 को बढे हुए अवाप्तशुदा रकबे का भुगतान किया जाना हम न्यायोचित समझते है। हम प्रकरण में सीधे कोई कार्यवाही नहीं की जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट को प्रकरण रिमांड किये जाने योग्य समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट द्वारा पारित अवार्ड के उस भाग को निरस्त किया जाता है जिसके द्वारा ग्राम श्रीया के खसरा नंबर 205/114 रकबा 1265 वर्गमीटर भूमि का अवार्ड पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट को प्रकरण इस आशय से रिमांड किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति एवं इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः सुनवाई की जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11 [illegible] जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा